[श्री आनन्द प्रकाश गौतम]

और उसके बाद उसमें कुछ और राय लेकर कुछ परिवर्तन करने के लिए एक समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट जनवरी, 1992 में आई है।

उसी के संबंध में पांच और छह तारीख, अभी-अभी कल-परसों एक मीटिंग भी शिक्षा सलाहकार बोर्ड की माननीय मंत्री जी ने की है और उसमें शायद देश के मुख्य मंत्रियों से भी सलाह ली गई होगी।

हमारा देश जो है; वह गांव में बसता है। नवोदय विद्यालय और तमाम तरह की शिक्षा यहां पर उसमें अभी तक चल रही थी। एक नई शिक्षा नीति जो बिहार के मुख्य मंत्री ने उसकी अवधारणा की है और कनसैप्ट दिया है, वह चरवाहा विश्वविद्यालय है।

तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नई नीति में चारवाहा नीति के कनसैप्ट को आप जोड़ने जा रहे हैं?

दूसरा यह जो नई शिक्षा नीति है, क्या अगले सत्र से आप इसे देश में लागू करने का विचार रखते हैं?

श्री अर्जुन सिंह: उपसभाध्यक्ष जी, कई आदरणीय सदस्यों ने इस वक्तव्य पर और जो रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की गई है, उस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। . . . **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): लोक सभा में संविधान संशोधन पर मतदान होना है जिसमें रेल मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री दोनों को पहुंचना है, क्योंकि कोरम बैल वहां पर बज रही है तो बेहतर होगा कि हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्री का उत्तर और रेल मंत्री का स्टेटमैंट और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस कल के लिए रखें। . . . **(व्यवधान)**

श्री अर्जुन सिंह: महोदया, मैं कल-परसों तो यहां नहीं हूं . . . **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): आप अगर संक्षेप में उत्तर दे करके जाना चाहें तो . . . **(व्यवधान)**

श्री अर्जुन सिंह: संक्षेप और वहां की घंटी में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन मैं 12 तारीख को, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 12 तारीख को उत्तर दे दूं?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): तो कोई बात नहीं है। . . . **(व्यवधान)**

SHRI VIREN J. SHAH (Maharashtra) : If he is prepared to be here tomorrow it is all right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : He is not prepared to be here tomorrow. He has to go somewhere. It is his request to reach there.

वहां घंटी बज रही है, वह कह तो रहे हैं कि संक्षेप में और उसमें कोई तालमेल नहीं है। . . . **(व्यवधान)** . . .

ठीक है आपको अगर 12 तारीख को सुविधाजनक है तो आपका जवाब 12 तारीख को कर लेंगे और रेल मंत्री जी कल अपना स्टेटमेंट दे दें और फिर कल ही स्पष्टीकरण उस पर हो जायेंगे।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE FINANCE BILL, 1992

SECRETARY-GENERAL : Madam, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha :

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. - I am directed ?b enclose the Finance Bill, 1992, as passed

by Lok Sabha at its sitting held on the 6th May, 1992.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the Meaning of article 110 of the Constitution of India."

Madam, I lay the Bill on the Tabic.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): अब सदन की बैठक कल 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at seven minutes past six of the clock till eleven of the clock on Friday, the 8th May, 1992.